प्रेस नोट

दिनाँक 14.09.2025

जनपद – संतकबीरनगर

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी नाम पता सत्य प्रकाश पसवान पुत्र राम फेर पासवान निवासी मुडाडिहा बेग थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, हे0का0 विनोद यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 7669 द्वारा मारपीट में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल*-** पीआरवी 7679 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत खैरा से कालर द्वारा बकरी खेत में चले जाने को लेकर विवाद में घायल 02 व्यक्ति (01.लालचंद पुत्र तीरथ, 02.कंचन पत्नी लालचन्द पता-खैरा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 गौरव पाण्डेय, हो0चा0 हर्षनाथ राय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 86 वाहनों से 88,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 14.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 86 वाहनों से 88,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की जाँच में झूठी निकली युवती को बंधक बनाकर घर में चोरी की सूचना***
- ***कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना ।***
- ***झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व सहयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही: एस0 पी0***

<u>*झूठी सूचना का विवरण-*</u>

दिनांक 13.09.2025 को शिकायतकर्ता मो0 सलमान पुत्र गुलहशन निवासी निमावा अमावा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि मेरी बहन को बंधक बनाकर मेरे घर में अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की गयी है, उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* द्वारा मय पुलिस बल के घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल निरीक्षण व शिकायतकर्ता व उनके परिवारीजन से पूछताछ करने पर घटना संदिग्ध प्रतीत हुयी, जिसपर शिकायतकर्ता व अन्य परिवारजन से कढ़ाई से पूछताछ किया गया तो शिकायतकर्ता मो0 असलम द्वारा बताया गया कि मेरी बहन जिसका पूर्व में मानसिक स्थिति ठीक नही रहने पर कई बार झाड़ फूक व इलाज कराया गया है, दिनांक 13.09.2025 को सुबह से ही मेरी बहन उदास थी, अपने मकान में झाड़ू लगाने गयी थी कि घर का दरवाजा अंदर से बंद कर घर में रखे सामान को तोड़ फोड़ व तितर वितर कर दी थी, हम परिवारजन जब घर पहुंचे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण बहन को कई बार आवाज लगाने पर दरवाजा नही खोली, तो खिड़की के सहारे घर में प्रवेश कर देखे तो बहन बेहोश पड़ी है, तथा घर का सामान तितर वितर हुआ था, हमें लगा कि घर में चोरी हुई है, हमने अपने सामान की चेकिंग किये बिना ही बहन को बंधक बनाकर चोरी की सूचना थाने पर दे दिये थे, जो भी सामान चोरी होना प्रतीत हुआ था वह मेरे घर में ही मौजूद है।

आज दिनाँक 14.09.2025 को शिकायतकर्ता मो0 असलम द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उपस्थित होकर लिखित रूप से कानूनी कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध मे निवेदन किया गया। जिसके आधार पर लिखित माफीनामा लिया गया।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें। झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।

□***पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में तीन सवारी चलने वाले वाहनों के विरुद्ध चलाया गया "आपरेशन तिगड़ी" व बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चलने वालों के विरुद्ध चलाया गया "आपरेशन पटाखा" अभियान***

□***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा "आपरेशन तिगड़ी" व "आपरेशन पटाखा" अभियान के तहत जनपद से कुल 86 वाहनों से 88,000 रू0** जुर्माना वसूला गया*

□***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा "आपरेशन ब्लैक कैट" अभियान के तहत जनपद में वाहनों से उतवायी गयी काली फिल्म***

□***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा "आपरेशन तिगड़ी" व "आपरेशन पटाखा" अभियान** से **जनपद मे मचा हडकम्प***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनाँक 14.09.2025 को जनमानस को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए तीन सवारी चलने वाले वाहनों के विरुद्ध "आपरेशन तिगड़ी" **व बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चलने वालों के विरुद्ध " आपरेशन पटाखा "** अभियान चलाया गया।

"आपरेशन तिगड़ी" व "आपरेशन पटाखा" अभियान के दौरान संतकबीरनगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद से 09 वाहनों से 4500 रुपए, थाना धनघटा से 05 वाहनों से 5,000रुपए, थाना महुली से 06 वाहनों से 6000रुपए, थाना बखिरा से 25 वाहनों से 30,000रुपए, थाना बेलहरकला से 05 वाहनों से 5,000रुपए, थाना व संतकबीरनगर यातायात पुलिस द्वारा 36 वाहनों से 37,500 रुपए जुर्माना वसूला गया साथ ही वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के साथ लोगों से अपील किया गया की वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेल्मेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने की भी अपील की गयी तथा वाहनों में काली फिल्म प्रयोग करने वालों के विरुद्ध **"आपरेशन ब्लैक कैट"** अभियान चलाया गया।